वानिकी

08

वानिकी

मुख्य बिन्दु

- राज्य में आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि.मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है तथा कुल 59,772.40 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2020–21 (Q) में 6,91,405 लाख रू. तथा 2021–22 (अग्रिम) 7,02,293 लाख रू. है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2020–21(Q) में 3.00 प्रतिशत व 2021–22 (अग्रिम) में 2.74 प्रतिशत है।
- खदानी रोपण योजनांतर्गत वर्षा ऋतु 2021 में 6.77 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2020–21 में 462.23 लाख रू. मूल्य के 9.73 लाख मानक बोरा तथा वर्ष 2021–22 में 768.24 लाख रू. मूल्य के 13.06 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है।

वन

8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

तालिका 8.1 वन एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**

8.2 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:—

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	539469	658802	605499	673573	684827	691405	702293
वृद्धि (प्रतिशत)	0.61	22.12	-8.09	11.24	1.67	0.96	1.57
योगदान (प्रतिशत)	2.99	3.38	3.03	3.02	2.93	3.00	2.74

वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

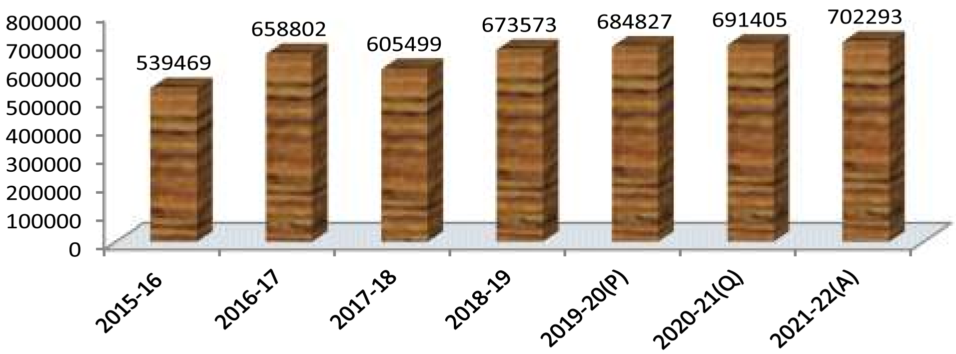

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17° 46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1,200 से 1,500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियां साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (प्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

8.3 विभाग की प्रमुख योजनाएं / कार्यक्रम –

राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वनक्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है –

- **पर्यावरण वानिकी**– शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क / पिकनिक स्पॉट का निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है।

- **बिगड़े वनों का सुधार** – प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों मे पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूटस से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

- **बांस वनों का पुनरोद्धार** – इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्राा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **पौधा प्रदाय योजना** – जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रसार करने हेतु रियायती दर पर पौधे योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते है।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना** – छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना।

- **पथ वृक्षारोपण** – राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्रा के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।

तालिका 8.3 वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में प्रमुख योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण (राशि लाख में)					
क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2020–21 की उपलब्धि (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		वर्ष 2021–22 की उपलब्धि (अप्रैल 2021से सितंबर 2021)	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	पर्यावरण वानिकी	01 लाख पौध रोपण एवं 21 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	56548	01 लाख पौध रोपण एवं 22 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	37564
2	बिगड़े वनों का सुधार	34330 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 43053 हे. में रोपण, 105660 हे. में रखरखाव	1352451	36000 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य, 40000 हे. रोपण, 159600 हे. में रखरखाव	181765
3	भू एवं जल संरक्षण कार्य	30079 हे. में उपचार कार्य, 17100 हे. रखरखाव	108787	52500 हे. में उपचार कार्य, 84000 हे. रखरखाव	111212
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	74 हे. में तैयारी, 457 हे. रोपण कार्य 1507 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	66559	1000 हे. रोपण, 1000 हे. में तैयारी कार्य 1500 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	8366
5	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	177 हे. में तैयारी, 370 हे. रोपण, 2143 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	45796	1215 हे. में तैयारी, 1210 हे. रोपण, 4800 हे. में रखरखाव	10700
6	बांस वनों का पुनरोद्धार	14868 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 28972 हे. में रोपण, 57294 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	357201	27800 हे. में तैयारी, 25000 हे. में रोपण, 69610 हे. पुराने आर.डी.बी. एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	58242
7	पथ वृक्षारोपण	57 कि.मी. में तैयारी, 88 कि.मी. में रोपण तथा 206 कि.मी. रखरखाव कार्य	70847	83 कि.मी. तैयारी, 83 कि.मी. रोपण तथा 145 कि.मी. रखरखाव कार्य	26375
8	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	30 हे. में तैयारी, 398 हे. में रोपण, 161 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	9849	495 हे. में तैयारी, 495 हे. में रोपण तथा 1100 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	12002
9	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गो में 56 रपटा/पुलिया निर्माण	29930	वनमार्गो में 90 रपटा/पुलिया निर्माण	15117
	कुल योग :–		**2097968**		**461343**

- **नोट :– वर्ष 2021–22 के समस्त कार्य प्रगति पर है।**

8.4 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगमः– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 9 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल, कोरबा, रायगढ़ एवं जगदलपुर शामिल हैं।

8.5.1 **सौगोन, बांस एवं नीलगिरी रोपण** : वर्ष 2001 से 2021 तक कुल 96,744 हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन, बांस एवं नीलगिरी के रोपण किये गये। वर्ष 2021 में 1982 हेक्टेयर क्षेत्र में 35,37,750 सागौन पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.1 खदानी रोपणः– वर्ष 1990 से 2021 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 280.24 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2021 में 6.77 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.2 सड़क किनारे वृक्षारोपण:– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम विगत 12 वर्षों के दौरान 1071.504 कि.मी. लंबाई में पथ एवं 2800.60 हेक्टेयर में ब्लॉक वृक्षारोपण किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण तालिका 8.4 में दर्शित है:–

तालिका 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण

क्र.	मद	उपलब्धि							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	रोपित मार्ग								
	लंबाई (कि.मी.)	20.00	97.20	220.00	56.30	28.04	-	-	45.30
	ब्लाक वृक्षारोपण (हे0)	-	993.00	993.00	465.00	821.68	321.600	-	135.40
2	रोपित पौधों की संख्या	40000	317512	1401110	561855	814676	440800	115200	187375

8.4.3 वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों का विवरण –

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2021 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए हैं :–

तालिका 8.5 वर्षा ऋतु वर्ष 2021 के रोपण का विवरण

परियोजना मण्डल का नाम	गत वर्ष के शेष		
	सागौन	मिश्रित	योग
बारनवापारा–रायपुर	18,00,000	-	18,00,000
पानाबरस–राजनांदगांव	15,00,000	-	15,00,000
अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	12,00,000	-	12,00,000
कवर्धा–कबीरधाम	6,00,000	-	6,00,000
कोटा–बिलासपुर	6,00,000	27,100	6,27,100
सरगुजा–अम्बिकापुर	7,20,000	1,10,000	8,30,000
औ.वृ.मं. कोरबा	0	5,30,000	5,30,000
योग :	**64,20,000**	**6,67,100**	**70,87,100**

तालिका क्र. 8.6 विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय (राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2016-17	38.86	27.13	11.73	8.75
2017-18	45.60	27.71	17.89	16. 02
2018-19	56.40	30.48	25.92	23.33
2019-20	61.27	26.48	34.79	33.67

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

8.5 बोर्ड का उद्देश्य –

- वनौषधि के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना।
- केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना।
- औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
- औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
- औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना तथा औषधि पौधों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश की वनौषधि जैव–विविधता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं औषधीय पौधों के उपयोग तथा जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्परागत ज्ञान को जन सामान्य में जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, क्षमता विकास हेतु कार्य, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का अभिलेखीकरण। उपचार केन्द्र की स्थापना/संचालन।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराने एवं पेटेंट उपरांत उत्पादन एवं व्यवसायीकरण हेतु प्रयास।
- जनजातीय और स्थानीय मानव, पशुओं एवं पादपों के स्वास्थ्य और पौषण संबंधी परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान का अभिलेखन कर, उनके बौद्धिक संपदा को लिपिबद्ध का कार्य।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं के उत्थान हेतु नीति एवं योजनायें बनाना।
- औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर जनजातीय एवं स्थानीय परंपराओं के द्वारा राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य (Universal health) को प्राप्ति के लिए प्रयास।

- राज्य में सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य एवं आहार परंपराओं जिसमें स्थानीय समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विशिष्ट घरेलु उपचार, आहार विधियों एवं इनके मौसमी उपयोगिता के आधार पर एटलस तैयार करना।
- जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी–

8.6 राज्य मद अंतर्गत प्रचलित कार्य–

- **होम हर्बल गार्डन योजना** – प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधीय पौधों का वितरण घर–घर में होम हर्बल गार्डन बनाये जाने हेतु निःशुल्क पौधा वितरण योजना, जिसमें नर्सरी में पौधा तैयार कर जन सामान्य को वितरण किया जाता है। इस योजना अंतर्गत सामान्य रोग हेतु उपयोग किये जाने वाले औषधीय पौधे जो विशैले ना हो, जिनका प्राथमिक उपचार हेतु आसानी से घरों में उपयोग किया जा सके व घरों में लगाया जा सके।

  वर्तमान कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधे जैसे – अडूसा, तुलसी, गिलोय, स्टीविया, एलोवेरा, अश्वगंधा आदि पौधों का वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.7 कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधों का वितरण

क्र.	वनमंडल का नाम	पौधों की संख्या
01.	बिलासपुर, मरवाही, कटघोरा, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, मुंगेली, खैरागढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, सुकमा, सूरजपुर, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, कांकेर, गरियाबंद, बस्तर, बेमेतरा	3835000

- **स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन** – औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल हर्बल गार्डन का निर्माण किए जाने पर स्कूली बच्चों में औषधीय पौधों की जानकारी उन्हें प्राप्त होगी साथ ही औषधीय पौधों की पहचान उनके द्वारा की जा सकेगी, जिससे स्वतः ही बच्चों द्वारा औषधीय पौधों का संरक्षण किया जा सकेगा।

तालिका क. 8.8 स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन

क्र.	जिला का नाम	कार्य स्थल का नाम
1.	गरियाबंद	Institute of Technology & Sciences Gariaband, Devbhog Road, Gariyaband (C.G.)
2.	10 स्कूल हर्बल गार्डन	रायपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में

- **मॉडल नर्सरी की स्थापना** –
  - उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधे तैयार करना।
  - बढ़ती बाजार मांग एवं अधिक मूल्य वाले औषधीय पौधे का चयन।
  - कम लागत एवं देखभाल वाले औषधीय पौधों का चयन।
  - स्थानीय कृषक एवं समूह को आर्थिक लाभ पहुंचाना।
  - वनक्षेत्रों में अत्यधिक बाजार मांग के औषधीय पौधों की संख्या का बढ़ाना।

तालिका क. 8.9 मॉडल नर्सरी

क.	नर्सरी स्थल का पता	स्वीकृत प्रजाति का नाम	स्वीकृत प्रजाति की संख्या
1	ग्राम–रेगालपाली	सर्पगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अनंतमूल	11 लाख
2	ग्राम–कोलदा	सतावर	11 लाख
3	ग्राम–भुरकोनी	ब्राह्मी, बच	11 लाख
4	ग्राम–देवरी	बच	11 लाख
5	ग्राम–सेवती	स्टीविया	11 लाख
6	ग्राम–डोंगरगांव	एलोविरा, ब्राह्मी, बच	11 लाख
7	ग्राम–तोपकबोरा	सतावर	11 लाख
8	ग्राम–डोंगाझार	सतावर	11 लाख
9	ग्राम – मोहदा	ब्राह्मी	11 लाख

- **वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य** – औषधीय पौधों की वर्तमान मांग एवं वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की कमी होने के कारण वर्तमान समय में अधिक मांग वाले औषधीय पौधों का रोपण किया गया है, जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग किये जाते हैं।

तालिका क. 8.10 वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य

क्र.	वनमंडल	कार्य का नाम	कुल
01.	कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, धरमजयगढ, केशकाल, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद, जशपुर, धमतरी, सुकमा, नारायणपुर	सतावर पौधा रोपण (1050000), हडजोड़ पौधा रोपण (150000), गुंजा पौधा रोपण (50000), कुलंजन पौधा रोपण (50000), गिलोय पौधा रोपण (150000)	1450000

- **औषधीय पौधों का कृषिकरण** – औषधीय पौधो का विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए अश्वगंधा एवं तुलसी के बीज क्रय कर कृषकों को वितरित कर कृषकों के द्वारा कृषिकरण कार्य किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.11 औषधीय पौधों का कृषिकरण

क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	बीज/पौधे का वितरण (कि.ग्रा. में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	अश्वगंधा	05	बीज 538 कि.ग्रा.	96
2.	तुलसी	06	बीज 45 कि.ग्रा.	45
3.	लेमनग्रास	–	–	150
कुल			**बीज 583 कि.ग्रा.**	**291**

- **रायपुर वनमंडल में परंपरागत वैद्यों के परामर्श केन्द्र की स्थापना करना** – छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता से संपन्न हर्बल राज्य है, इसके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से परंपरागत वैद्यों द्वारा साध्य/असाध्य रोगों का (नाड़ी परीक्षण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी इत्यादि) का उपचार किया जाता रहा है। वर्तमान समय में लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण परंपरागत ज्ञान आधारित उपचार पद्धति विलुप्त होती जा रही है। पारंपरिक उपचार पद्धति को संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक ज्ञान आधारित वैद्य परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

- **हाइड्रोफोनिक की स्थापना** – छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कार्यालय परिसर में हाइड्रोफोनिक की स्थापना कर पौधों को विकसित किया जा रहा है।

- **डेमोस्ट्रेशन प्लाट की स्थापना** – कृषिकरण तकनीक एवं एरोमैटिक प्लांट्स से तेल निकालने के विधि का प्रशिक्षण हेतु डिस्टीलेशन प्लांट की स्थापना राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदाय किए गए भूमि में किया गया है।

- **वृत्तवार वैद्यों का सुझाव हेतु आयोजन** – रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त अंतर्गत परंपरागत वैद्यों (रायपुर वनवृत्त – 20 वैद्य एवं दुर्ग वनवृत्त – 60 वैद्य) को बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित कर बोर्ड हेतु सुझाव प्राप्त किए गए हैं।

- **आयुष क्वॉथ वितरण कार्य** – कबीरधाम जिले में 4500 नग आयुष क्वॉथ एवं सरगुजा जिले में 2500 नग आयुष क्वॉथ का वितरण कर आमजनों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की गई है।

- **क्षमता विकास** – क्षमता विकास अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

- **Nannari (Decalepis hamiltonii)** – छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा Nannari औषधीय प्रजाति का प्रथम बार उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन सफल रहने पर वृहद स्तर पर इसका कृषिकरण कर उत्पादन किया जाएगा।

8.7 कैम्पा योजनांतर्गत प्रचलित कार्य–

- कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 वनमंडल (केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा) में 1,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल एम.पी.सी.ए. स्थापित की गई।

- कैम्पा परियोजना अंतर्गत केशकाल वनमंडल में कुल 733 हेक्टेयर है।

- स्थानीय वैद्य, ग्रामीणों के क्षमता विकास हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण एवं विनाश विहीन विदोहन प्रशिक्षण दिये गये हैं, जिसमें 250 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

- कोरबा वनमंडल अंतर्गत एम.पी.सी.ए. पहाडजमली में लोक जैव विविधता पंजी (People Biodiversity Register) डॉक्यूमेंटेशन कार्य किया गया है।
- 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्र के वानस्पतिक सर्वेक्षण टी.एफ.आर.आई., जबलपुर द्वारा कराया गया है।

8.8 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित कार्य–

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण** – औषधीय पौधो की विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए विभिन्न औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण किया गया है, विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.12 राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण

क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	स्टीविया	05	450000	13.00
2.	सर्पगंधा	03	210000	10.50
3.	एलोवेरा	03	220000	9.73
4.	वच	05	205000	10.00
5.	सतावर	04	200000	15.00
	कुल	**20**	**1285000**	**58.23**

- **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अंतर्गत कार्य** – UNDP परियोजना अंतर्गत स्थापित 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में (बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जशपुर, सरगुजा, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल) JFMCs द्वारा वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु NMPB के परियोजना "Sustainable Collection, Value Addition, Warehousing and Marketing of Selected RET and high traded Medicinal Plants Species covering 21 JFMCs 07 Forest Division of Chhattisgarh के लिए NMPB से राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई तथा राशि रू. 126.00 लाख प्राप्त हुआ है, जिसमें गोडाउन एवं ड्राईंग शेड निर्माण कार्य है, प्रथम चरण में खैरागढ़ (राशि रू. 30.00 लाख), सूरजपुर (राशि रू. 30.00 लाख) वनमंडल में निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 60 लाख का कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.9 प्रचार–प्रसार एवं मार्केटिंग –

प्रचार–प्रसार – विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आएं आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय/प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से:

- 01 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है । जहां से लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है ।
- 01 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन स्वामी विवेकानंद अंतराष्ट्रीय विमानतल, रायपुर पर किया जा रहा है । लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

8.10 लघु वनोपज सहकारी संघ– लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014–15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख 2015–165 से, कालमेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाडू वर्ष 2018–19 से, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग, आंवला बीज रहित वर्ष 2019–20 से एवं भेलवा, इमली बीज, फूल इमली (इमली बीज रहित), बहेड़, कचरिया, गिलोय, नीम बीज, हर्रा कचरिया, वन जीरा, वन तुलसी (बीज) वर्ष 2020–21 से लघु वनोपज का क्रय किया जा रहा है साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है। (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदूपत्ता)

तालिका 8.13 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	उत्पादन (लाख)	मूल्य (लाख रू.)	उत्पादन (लाख)	मूल्य (लाख रू.)
			2020-21		2021-22	
1	तेन्दू पत्ता	मानक बोरा	9.73	462.23	13.06	768.24
2	धावड़ा गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	कुल्लू गोंद	क्विंटल	1.49	0.90	निरंक	निरंक

तालिका 8.14 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)
			2020-21		2021-22	
1	हर्रा	क्विंटल में	24262.179	366.70	536.680	8.05
2	साल बीज	क्विंटल में	362474.295	7249.48	158355.060	3085.61
3	महुआ बीज	क्विंटल में	386.370	11.53	5.400	0.16
4	इमली (बीज सहित)	क्विंटल में	125713.580	4299.95	118744.292	4144.05
5	चिरौंजी गुठली	क्विंटल में	528.470	64.13	268.600	32.06
6	कुसमी लाख	क्विंटल में	28.055	8.15	0.360	0.11
7	रंगीनी लाख	क्विंटल में	741.360	161.78	20.020	4.40
8	कुल्लू गोंद	क्विंटल में	4.64	0.65		

तालिका 8.14 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी						
क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)
			2020-21		2021-22	
9	कालमेघ	क्विंटल में	7594.660	265.24	122.840	4.30
10	बहेड़ा	क्विंटल में	48693.904	824.23	9871.450	167.81
11	नागरमोथा	क्विंटल में	1954.295	55.91	92.480	2.77
12	पुवाड	क्विंटल में	1630.086	23.91	6.480	0.10
13	बेलगुदा	क्विंटल में	522.909	15.00	652.696	18.44
14	शहद	क्विंटल में	630.387	138.77	220.880	49.70
15	फूल झाडू	क्विंटल में	1240.160	59.94	626.350	14.52
16	महुआ फूल (सूखा)	क्विंटल में	23669.899	701.74	208.490	6.13
17	जामुन बीज (सूखा)	क्विंटल में	210.810	8.66	146.840	6.21
18	धवई फूल (सूखा)	क्विंटल में	2205.176	7.62	1007.845	37.29
19	करंज बीज	क्विंटल में	372.820	8.00	61.080	1.34
20	आंवला (बीज रहित)	क्विंटल में	21.505	1.08	0.350	0.015
21	भेलवा	क्विंटल में	2547.037	22.84	62.520	0.56
22	इमली बीज	क्विंटल में	1048.060	12.67	581.556	6.40
23	फूल इमली (इमली बीज सहित)	क्विंटल में	2941.060	180.74	4546.082	309.75
24	बहेड़ कचरिया	क्विंटल में	1032.705	21.03	48.400	0.97
25	गिलोय	क्विंटल में	11860.020	474.40	252.520	10.10
26	नीम बीज	क्विंटल में	158.840	4.29	28.520	0.77
27	हर्रा कचरिया	क्विंटल में	354.774	9.08	8.370	0.21
28	वन जीरा	क्विंटल में	24.610	1.87		
29	वन तुलसी (बीज)	क्विंटल में	123.670	1.98	1.910	0.030
30	माहुल पत्ता	क्विंटल में	1956.720	29.57	88.360	1.323
31	रीठा फल (सूखा)	क्विंटल में	0.700	0.00980	-	-
32	काजू गुठली	क्विंटल में	5987.030	584.12	636.585	53.25
33	सतावर (सूखा)	क्विंटल में	177.730	21.25	0.750	0.08
34	कुसुम बीज	क्विंटल में	168.170	3.86	1.040	0.02
35	शिकाकाई	क्विंटल में	3.320	0.166	-	-
36	अन्य उपज	क्विंटल में	6839.480	155.85	445.48	10.53